निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज.)

प्रकरण सख्ंयाः– 136/2021 (प्रार्थनापत्र)
दायर दिनांकः– 30/06/2021
निर्णय दिनांकः– 20/11/2024

अनवान

1. डाली पिता मोती कलाल निवासी देवपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. प्रकाशचन्द्र पिता सोहन कलाल निवासी देवपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. बाबुलाल पिता मोती कलाल निवासी देवपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. मोहनी पिता जोधा कलाल निवासी देवपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. धर्मेश कुमार पिता हीरालाल कलाल निवासी देवपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. जगदीश पिता हीरालाल कलाल निवासी देवपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमंद

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत ईन्द्राज दुरस्ती बाबत्

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि राजस्व आराजीयात ग्राम देवपुरा पटवार हल्का ईशरमण्ड तहसील देवगढ़

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

जिला राजसमन्द में स्थित है जिसके पूर्व जमाबन्दी संवत् 2070—73 के खाता संख्या 166 / 163 के खसरा संख्या 485 / 18 शा0न0 134 कुल किता 01 रकबा 20 बीघा एवं वर्तमान सेटलमेन्ट सवंत् 2076 के खाता संख्या 166 खसरा संख्या 184 रकबा 4.3200 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगणों का वर्षों से कब्जा है एवं प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पर मौके पर बाउण्डरी एवं सीमा दीवार बनी हुई है प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर मौके पर बाउण्डरी सीमा चिन्ह के अन्दर भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के अविरल कास्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि को उपयोग बनाने हेतु लाखो रूपये खर्च किये है। वर्तमान में संवत् 2076 में सेटलमेन्ट भू—प्रबंधक अधिकारी द्वारा भूमि का नया राजस्व रिकॉर्ड में खसरा खतौनी एवं नक्शे में ईन्द्राज किया गया प्रार्थीगण के पूर्व के खसरा संख्या 485 / 18 शा0न0 134 रकबा 20 बीघा के बजाय राजस्व खतौनी व राजस्व नक्शे में नया खसरा संख्या 184 रकबा 4.3200 हैक्टेयर दर्ज रिकॉर्ड किया गया। जिसमें प्रार्थी के राजस्व नक्शे में मकसुद तरीके से भू—प्रबन्ध अधिकारी द्वारा जब सेटलमेन्ट किया तब नक्शे में गलत रूप से इन्द्राज कर दिया जहां प्रार्थीगण काबिल होकर कास्त कर रहे थे एवं जहां प्रार्थी के सबाउण्डरी निर्माण कि हुई है जहां प्रार्थीगण का कब्जा है उसके विपरीत राजस्व नक्शे में ईन्द्राज कर खसरा संख्या 184 को गलत रूप से अंकित किया गया है जो वास्तविक मौके की भूमि से विपरित है राजस्व नक्शे में सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा बिना मौके को देखे बिना प्रार्थी को सूचना व सुने कब्जे के विपरित नक्शे में इन्द्राज कर दिया गया। प्रार्थीगण के उक्त नक्शे में परिवर्तन हो जाने से वास्तविक कब्जे के विपरित भूमि पर नक्शे में अंकन या तरमीम हो जाने से

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

विवाद सीमा का उत्पन्न हो गया जबकि प्रार्थीगण जहां काबिज है जहां प्रार्थी की बाउण्डरी बनी हुई है उसी अनुसार नक्शे में तरमीम चाहता है एवं गलत रूप से बनाये गये नये नक्शे में इन्द्राज में लिपिकिय एवं गणीतिय त्रुटि रह जाने से इन्द्राज शुद्धि माननीय न्यायालय आप से चाहता है। प्रार्थीगण को उक्त भूमि के गलत इन्द्राज कि जानकारी वर्तमान में पटवार हल्का से नकल लेने से दिनांक 14 / 07 / 2020 को हुई तब से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न हुआ। खातेदारी हिरा पिता जोधा का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान कि और से प्रार्थी संख्या 05 एवं 06 प्रार्थना पत्र में प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी कि राजस्व आराजीयात ग्राम देवपुरा पटवार हल्का ईशरमण्ड तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में स्थित है जिसके पूर्व जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 166 / 163 के खसरा संख्या 485 / 18 शा0न0 134 कुल किता 01 रकबा 20 बीघा एवं वर्तमान सेटलमेन्ट संवत् 2076 के खाता संख्या 166 खसरा संख्या 184 रकबा 4.3200 हैक्टेयर के नक्शे में इन्द्राज दुरस्ती करते हुए जहां प्रार्थीगण काबिज है एवं जहां प्रार्थी का बाउण्डरी बनी हुई है उसे नक्शे में गलत इन्द्राज को शुद्ध किया जाकर वास्तविक भूमि कि स्थिति अनुसार राजस्व नक्शे में भूमि का इन्द्राज जरिये इन्द्राज दुरस्ती किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्युत्तर में अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार देवगढ़ द्वारा जवाब मय पटवारी हल्का ईशरमण्ड की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है। जवाब मय मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि राजस्व ग्राम

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

देवपुरा के खाता संख्या 166/2070–73 में आराजी संख्या 485/18 सामलाती संख्या 134 रकबा 20 बीघा दर्ज रिकॉर्ड था। उक्त आराजी संख्या का नया आराजी संख्या 184 रकबा 4.3200 हैक्टेयर दर्ज हुआ। आराजी संख्या 184 रकबा 4.32 हैक्टेयर का नवीन नक्शा पर वादी 1.08 हैक्टेयर भूमि पर ही वादी काबिज हैं वादी का शेष कब्जा 3.24 है, भूमि नवीन आराजी संख्या 188 पर है। मौके पर पत्थरों की प्राचीन दिवार बनी है जों कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हैं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व नक्शा ट्रेस में शुद्धि किया जाना न्याय हित में आवश्यक है अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण कि ग्राम देवपुरा पटवार हल्का ईशरमण्ड तहसील देवगढ जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 166 के खसरा संख्या 485/18 शा0न0 134 रकबा 20 बीघा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात काबिज हो कास्त कर रहे है। जिसको भू–प्रबंध अधिकारियों ने दौराने सेटलमेन्ट बिना किसी न्यायालय के आदेश एवं बिना किसी क्षैत्राधिकार के बिना मौके व कब्जे की जांच किये प्रार्थीगण की भूमि की गलत तरमीम कर दी गई है। जबकि प्रार्थीगण वर्तमान में सेटलमेन्ट पूर्व नक्शे अनुसार काबिज हो भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण जहां काबिज है एंव बाउण्डरी बनी हुई वहां राजस्व नक्शे में भूमि जरीये इन्द्राज शुद्धि दर्ज किये जाना न्याय हित में आवश्यक है। पैरोकार सरकार ने प्रस्तुत जवाब मय मौका रिपोर्ट की ताईद की।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

(अ) प्रकरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों की माननीय न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या को समझना उचीत प्रतीत होता है।

(1) 1996 आर0बी0जे0 पृष्ठ 8ः ख्याली व अन्य बनाम स्टैट ऑफ राजस्थान व अन्य(उच्च न्यायालय)

<u>RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-</u>
Wrong entry made during settlement operation can be corrected by Land Record Officer.

(2) 2003 आर0बी0जे0 पृष्ठ 118ः रूपनारायण बनाम कजोड़मल

<u>RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956- SECTION 136-</u>
Settlement Authorities have no power to delete the original entries and make new entries- In this case

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

during the settlement operations Assistant Settlement Officer deleted the name of the applicant who is a recorded khatedar of the disputed land and made entries in the name of non-applicant whereas settlement authorities have no right to delete the original entry and made new entries without any of the competent court. **Revision accepted.**

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम देवपुरा पटवार, हल्का ईशरमण्ड, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द के जमाबन्दी संवत् 2070–73 के खाता संख्या 166/163 के खसरा संख्या 485/18 शा0न0 134 कुल किता 01 कुल रकबा 20 बीघा जिसके वर्तमान सेटलमेन्ट संवत् 2076 के खाता संख्या 166 खसरा संख्या 184 रकबा 4.3200 हैक्टेयर भूमि की सेटमलेन्ट विभाग द्वारा की गई तरमीम को निरस्त कर किया जाता है एवं तहसीलदार देवगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि सेटलमेन्ट पूर्व की मौका स्थिति, वास्तविक कब्जे के आधार पर पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 184 व 188 के नक्शे सम्मिलित करते हुए प्रार्थीगण की भूमि का नक्शा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की कार्यवाही की जावे। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार, देवगढ़ को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/11/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द